**दिनांक 15.02.2016 को मंथन सभागार, वन मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में श्रीमती वीना सेखरी, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित की गई उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त**

उपस्थिति का विवरणः–

1. श्रीमती वीना सेखरी, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
2. श्री राजेन्द्र कुमार, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति
3. श्री जय राज, प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
4. श्री एस॰टी॰एस॰ लेप्चा, प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
5. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति के प्रतिनिधि श्री धनन्जय मोहन, मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तराखण्ड।
6. श्री एम॰एस॰ बिष्ट, वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
7. श्री परमजीत सिंह, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

उत्तराखण्ड कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 16.1: कैम्पा निधि के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 की अद्यावधिक स्थितिः–**

कार्यकारी समिति उत्तराखण्ड कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 ₹ 25052.24 लाख (संचालन समिति की 10वीं बैठक दिनांक 26.10.2015 में स्वीकृत) एवं अवमुक्त धनराशि ₹ 18082.68 लाख के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धि ₹ 10713.91 लाख (59.25%) की प्रगति से अवगत हुई। समिति द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कम व्यय पर असंतोष प्रकट किया गया एवं आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समस्त क्रियान्वयन अभिकरणों को तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया।

*(कार्यवाही– समस्त क्रियान्वयन अभिकरण/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड)*

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 16.2: उत्तराखण्ड कैम्पा के सुचारू संचालन एवं प्रबन्धन हेतु मुख्य विचारणीय बिन्दु :–**

- विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक गतमाह का लेखा कैम्पा कार्यालय को प्राप्त होना आवश्यक है। कैम्पा कार्यालय के पत्रांक–639/3–3(5) दिनांक 25.01.2016 के द्वारा माह जनवरी, 2016 एवं फरवरी, 2016 में विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों के प्रतिनिधियों को निर्धारित तिथि पर कैम्पा कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी टैली प्रविष्टि सुनिश्चित करने एवं नये सरल विकसित एम0आई0एस0 में प्रविष्टि के प्रशिक्षण हेतु वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 में गतिविधिवार कराये गये कार्यों का विवरण यथा मात्रा, व्यय धनराशि तथा फोटोग्राफ्स सहित कैम्पा कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

  कार्यकारी समिति द्वारा जिन क्रियान्वयन अभिकरणों के प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुए उनको पुनः एक निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपनी टैली प्रविष्टि पूर्ण कराने एवं पुनः प्रशिक्षण प्राप्त हेतु निर्देशित किया जाए।

  *(कार्यवाही– उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण)*

- प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत कार्यालय द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष विभिन्न वन प्रभागों एवं विभिन्न वन पंचायतों के खातों में धनराशि हस्तान्तरित की गई है। वन प्रभागों को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष किए जाने वाले व्यय की प्रविष्टि के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त व्यय की प्रविष्टि प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत कार्यालय के लेखों में की जानी है अथवा वन प्रभागों के लेखों में। क्योंकि वन प्रभागों की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना में एन0पी0वी0 1 डी मद में कोई धनराशि का प्राविधान नहीं है। वन पंचायतों को अवमुक्त धनराशि को किस कार्यालय द्वारा व्यय में प्रविष्टि की जानी है, यह भी स्पष्ट नहीं है।

  कार्यकारी समिति द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गये कि वन पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि का लेखा जोखा एवं मूल्यांकन अनुश्रवण का कार्य क्लस्टर में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाएगा। लेखों की प्रविष्टि हेतु प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत कार्यालय से वर्ष में विभिन्न मदों में व्यय की गई धनराशि का

उपयोगिता प्रमाणपत्र उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय द्वारा प्राप्त कर लिया जाए। जिसके आधार पर टैली में प्रविष्टि अंकित कर ली जाए।

कार्यकारी समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि भविष्य में वन पंचायत मद में आवंटित की जाने वाली धनराशि प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत कार्यालय के स्थान पर उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय द्वारा विगत वर्षों की भांति सीधे सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को उनके वार्षिक कार्ययोजना में प्राविधान के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाए।

कार्यकारी समिति ने निर्देश दिए कि उत्तराखण्ड शासन की वेबसाइट पर आन्तरिक ऑडिट हेतु ऑडिट मैनुअल के प्राविधानों का अध्ययन किया जाए एवं तद्नुसार आन्तरिक ऑडिट की कार्यवाही उत्तराखण्ड कैम्पा में किए जाने पर विचार किया जाएगा।

***(कार्यवाही– प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत कार्यालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण)***

- एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 70 प्रतिशत का व्यय होने के पश्चात ही कैम्पा निधि अवमुक्त किए जाने का प्राविधान है। कार्यकारी समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि जिन क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 70 प्रतिशत से कम व्यय किया गया है ऐसे क्रियान्वयन अभिकरणों को धनराशि अवमुक्त न की जाए।

***(कार्यवाही– समस्त क्रियान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग)***

- एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर 50 प्रतिशत से कम ई–ग्रीन वॉच प्रविष्टि पर कैम्पा निधि अवमुक्त नहीं की जानी है। कार्यकारी समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि जिन क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा ई–ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रविष्टि 50 प्रतिशत से कम है ऐसे क्रियान्वयन अभिकरणों को धनराशि अवमुक्त न की जाए।

***(कार्यवाही– समस्त क्रियान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग)***

- उत्तराखण्ड कैम्पा में कैम्पा निधि के समुचित प्रबन्धन एवं अधिकतम ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से Centralized Payment System for all Implementing Agencies लागू किया गया है, जिसके तहत यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एवं

आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों के खाते खोलने की कार्यवाही गतिमान है एवं फरवरी, 2016 के अन्तिम सप्ताह तक धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही इन्हीं नये खातों में की जानी प्रस्तावित है। इसी क्रम में कैम्पा कार्यालय के पत्रांक– 584/15–16 दिनांक 08.01.2016 एवं पत्रांक– 588/बैंक बचत खाता/15–16 दिनांक 11.01.2016 के द्वारा विभिन्न वन प्रभागों के अंतर्गत पूर्व में खोले गये रेंज के बैंक खातों को बन्द करने एवं विगत वर्षों में उन रेंज के बैंक खातों में प्राप्त ब्याज की धनराशि की सूचना कैम्पा कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करने तथा ब्याज की धनराशि कैम्पा के खाते में ट्रान्सफर करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में केवल चम्पावत वन प्रभाग एवं वन वर्धनिक, पर्वतीय, नैनीताल से ही सूचना प्राप्त हुई है। कार्यकारी समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन वन प्रभागों द्वारा रेंज खातों पर अर्जित ब्याज की सूचना अथवा खातों को बन्द करने की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, ऐसे क्रियान्वयन अभिकरणों को रेंज खाता बन्द करने एवं अर्जित ब्याज की धनराशि कैम्पा कार्यालय को तुरन्त प्रेषित करने हेतु कैम्पा कार्यालय से पुनः निर्देश दिए जाएं एवं उक्त कार्य पूर्ण न होने तक ऐसे क्रियान्वयन अभिकरणों को धनराशि अवमुक्त न की जाए।

*(कार्यवाही– समस्त क्रियान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग)*

- उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के पत्रांक– 211/3–3(5) दिनांक 22.07.2015 के द्वारा कैम्पा योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में व्यय का प्राक्कलन तैयार करते समय लागत का 10 प्रतिशत ठेकेदार के लाभांश का प्राविधान प्राक्कलित धनराशि में होने एवं उक्त कार्य बाद में विभाग द्वारा स्वयं कराए जाने की दशा में उक्त लाभांश की धनराशि कैम्पा निधि में वापस किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में कार्यकारी समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि विभिन्न वन प्रभागों द्वारा कार्य हेतु बनाए गये प्राक्कलन का अध्ययन कर लिया जाए एवं इस हेतु सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरणों को पत्र प्रेषित किया जाए।

*(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं समस्त क्रियान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग)*

- उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में कैम्पा निधि से कराए गये विभिन्न कार्यों के 10 प्रतिशत का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य मुख्य वन

संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट से कराया जा रहा है। रिपोर्ट के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कतिपय वन प्रभागों में वृक्षारोपण की सफलता प्रतिशत मानकों से कम है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में इस कार्य के लिए गठित समिति द्वारा 15.02.2016 की बैठक में निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या– 98/14–प0भू0वि0/94, दिनांक 07.01.1994 की प्रतिसंख्या 93/14–प0भू0वि0/96 दिनांक 7 जवरी, 1994 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक–कुमांऊ, गढ़वाल व वन्य जीव द्वारा नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए व गुणावगुण के आधार पर कम प्रतिशत वाले वृक्षारोपणों पर प्रशासनिक कार्यवाही हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

*(कार्यवाही– मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, कुमांऊ एवं वन्य जीव तथां समस्त क्रियान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग)*

- उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्त पोषित गतिविधियों के कम से कम 10 प्रतिशत कार्यो के वित्तीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है। वित्त नियंत्रक, वन विभाग के द्वारा विभिन्न वन प्रभागों की प्राप्त आन्तरिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पता चलता है कि कतिपय वन प्रभागों द्वारा कैम्पा निधि के उपयोग में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया गया है एवं कुछ कार्यों में सम्भवतया टी0ए0सी0 का भी अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि क्रियान्वयन अभिकरण/वन प्रभागों को धनराशि अवमुक्त करते समय स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं टेण्डर/निविदा के माध्यम से कार्य कराते हुए यथावश्यक टी0ए0सी0 से भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। वित्त नियंत्रक, वन विभाग द्वारा वित्तीय मानीटरिंग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

*(कार्यवाही– वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं समस्त क्रियान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग)*

## कार्यसूची कार्यकारी समिति 16.3: कैम्पा निधि के अंतर्गत स्वीकृत संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 के अतिरिक्त कार्यकारी/संचालन समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में अवमुक्त धनराशि का अनुमोदनः–

संचालन समिति की दसवीं बैठक में स्वीकृत संशोधित वार्षिक कार्ययोजना ₹ 25052.24 लाख के अतिरिक्त कार्यों की महत्ता एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कार्यकारी/संचालन समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न वन प्रभागों की वार्षिक कार्ययोजना में अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था –

| क्र.सं. | प्रभाग का नाम | कार्य मद | वार्षिक कार्ययोजना में प्राविधानित धनराशि (लाख ₹ में) | अवमुक्त धनराशि (लाख ₹ में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | लैन्सडौन वन प्रभाग | लालढांग–चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण | 32.00 | 16.00 |
| 2 | नैनीताल वन प्रभाग | बटरफ्लाई पार्क की स्थापना | 36.00 | 18.00 |
| 3 | देहरादून वन प्रभाग | बटरफ्लाई पार्क की स्थापना | 82.00 | 41.00 |
| 4 | मसूरी वन प्रभाग | सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य हेतु सर्वे ऑफ इण्डिया के लम्बित भुगतान हेतु | 83.50 | 83.50 |
| 5 | तराई पूर्वी वन प्रभाग | अन्य गतिविधि (4.Others) मद के अंतर्गत सीमांकन कार्य हेतु | 76.72 | 76.72 |
| | | हल्द्वानी जू निर्माण | 350.00 | 350.00 |
| | | सर्प, बन्दर प्रशिक्षण हेतु (अर्जित ब्याज की धनराशि से) | 11.64 | 11.64 |
| 6 | रामनगर वन प्रभाग | हाथी गलियारे में पानी की व्यवस्था | 4.87 | 4.87 |
| 7 | भू0सं0 लैन्सडौन | मॉडल वृक्षारोपण | 2.74 | 2.74 |
| 8 | टौंस वन प्रभाग | क्षतिपूरक वनीकरण (37.4 है0) | 7.42 | 7.42 |
| 9 | वन वर्धनिक, साल, हल्द्वानी | सीड स्टोरेज | 14.53 | 14.53 |
| 10 | लैन्सडौन वन प्रभाग | (संवेदनशील क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम, वृक्षारोपण एवं संचालन व्यय) | 8.74 | 8.74 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पथ वृक्षारोपण (नर्सरी अनुरक्षण) | 4.53 | 4.53 |
| 11 | देहरादून वन प्रभाग | सरीसृप एवं छोटे स्तनधारी जन्तुओं का प्रशिक्षण आदि | 10.87 | 10.87 |
| 12 | एफ0टी0ए0, हल्द्वानी | पानी की आपूर्ति हेतु (अर्जित ब्याज की धनराशि से) | 3.00 | 3.00 |
| | | **योग** | **728.56** | **653.56** |

कार्यकारी समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 के अतिरिक्त क्रियान्वयन अभिकरणों से प्राप्त विभिन्न कार्यों हेतु प्रस्तावों में से निम्नानुसार प्रस्ताव अनुमोदित किए गए –

| क्रसं | प्रभाग / क्रिया0अभि0 का नाम | कार्य मद | धनराशि (रू0 लाख में) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रामनगर वन प्रभाग | हाथीगलियार से मोटेश्वर महादेव वन मोटर मार्ग का जीर्णोद्धार (2.5 कि.मी.) | 14.00 | स्वीकृत |
| | | देचौरी राजि के अन्तर्गत हाथीगलियार में वन रक्षक चौकी का जीर्णोद्धार एवं वाटर हॉल पाईपलाईन मरम्मत कार्य | 12.00 | स्वीकृत |
| | | देचौरी राजि के अन्तर्गत कोटासाल बीट के सादनीचौड़ में एंटीपोचिंग का विस्तार एवं ग्रासलैण्ड विकास कार्य | 17.40 | स्वीकृत |
| 2 | देहरादून वन प्रभाग | आशारोड़ी रेंज के अन्तर्गत मोहब्बेवाला कक्ष सं0–3 में पिपलेश्वर मंदिर से नई बस्ती तक जाने वाले वन मोटर मार्ग के अवशेष भाग का सुदृढ़ीकरण कार्य (5 कि.मी.) | 22.25 | स्वीकृत |
| | | आशारोड़ी रेंज के अन्तर्गत मोहब्बेवाला कक्ष सं0–1 में रेंज कार्यालय से गुलाम हुसैन की घर के सामने तक वन मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य (100 मी.) | 4.56 | स्वीकृत |
| | | आशारोड़ी रेंज के अन्तर्गत मोहब्बेवाला कक्ष सं0–2 में श्री लाल बहादुर गुरूंग के घर से पिलर सं0–38 तक वन मोटर मार्ग सुदृढ़ीकरण कार्य (100 मी.) | 5.56 | |
| | | आशारोड़ी रेंज के अन्तर्गत वन रक्षक चौकी चन्द्रबनी के मुख्य मार्ग से लाल कोठी तक वन मोटर मार्ग सुदृढ़ीकरण कार्य(128 मी.) | 5.84 | |
| | | झाझरा रेंज के अन्तर्गत डूंगा क0सं0 5 में भाववाला डुंगा मार्ग से एल.ए. सिटी की ओर वन मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य (400 मी.) | 19.46 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | मुख्य वन संरक्षक / निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी | वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी के छात्रावास का जीर्णोद्धार एवं अन्य कार्य (वर्ष 2015–16 में 34.00 लाख एवं वर्ष 2016–16 हेतु 37.00 लाख) | 34.00 | वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृत |
| 4 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा | विभाग के अन्तर्गत पारम्परागत एवं डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना | 182.40 | स्वीकृत |
| 5 | मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास प्रबन्धन | प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास हेतु | 0.18 | स्वीकृत |
| 6 | अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन | Revision of forest mannuals, RTI mannuals etc. | 2.00 | स्वीकृत |
| 7 | सिविल सोयम अल्मोड़ा | मृग विहार एन.टी.डी. अल्मोड़ा में वन्य प्राणियों को खाद्य सामग्री की आपूर्ति एवं विभिन्न कार्यो के सम्बन्ध में | 83.55 | स्वीकृत |
| 8 | नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय | एन.पी.वी. के अन्तर्गत अनुश्रवण | 5.00 | स्वीकृत |
| | | दस्तावेजों का रखरखाव | 15.00 | |
| | | गैरेज निर्माण एवं अन्य कार्य | 18.00 | स्वीकृत |
| 9 | टिहरी वन प्रभाग | क्षतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य (14.898 है0) | 8.96 | स्वीकृत |
| 10 | राजाजी टाइगर रिजर्व | चौरासी कुटिया में नेचर ट्रेल की स्थापना | 15.00 | ₹ 51.20 लाख के सापेक्ष ₹ 15 लाख स्वीकृत एवं प्राप्त प्रस्ताव को कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए। |
| 11 | प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव उत्तराखण्ड(केदारनाथ वन्य जीव) | केदारनाथ वन्य जीव के दूधातोली के मुख्य जल स्रोतों पर जल संरक्षण एवं विधान सभा परिसर भराडीसैण के नालों में भू0स0 व तालाब निमार्ण कार्य | 30.00 | ₹ 107.46 लाख के सापेक्ष ₹ 30 लाख स्वीकृत एवं प्राप्त प्रस्ताव को कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए। |
| 12 | अल्मोड़ा वन प्रभाग | वर्षा जल संरक्षण योजना के अर्न्तगत रानीखेत रेंज के अर्न्तगत स्थित गगास व कुचगढ उपजलागम क्षेत्र की परियोजना | 30.00 | ₹ 100 लाख के सापेक्ष ₹ 30 लाख स्वीकृत |
| 13 | एस.एफ.डी.ए. जायका | एस.एफ.डी.ए. जायका वित्त पोषित के अर्न्तगत एफ.टी.ए., हल्द्वानी हेतु धनराशि | 23.79 | कार्यकारी समिति द्वारा कैम्पा नियमों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित |
| | | एस.एफ.डी.ए. जायका वित्त पोषित के अर्न्तगत वन आरक्षी प्रशिक्षण केन्द्र, रामपूर मण्डी हेतु धनराशि | 33.18 | |
| 14 | मुख्य वन संरक्षक, वानिकी अनुसंधान संस्थान | कार्यालय व्यय | 2.00 | स्वीकृत |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | गढ़वाल, कुमांऊ एवं वन्यजीव जोन से सम्बन्धित विभिन्न वन प्रभाग | वन विश्राम भवनों का जीर्णोद्धार कार्य (मा0 वन मंत्री जी के निर्देशों के क्रम में वन विश्राम भवनों के जीर्णोद्धार हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्रांक–पी.ओ./220 दिनांक 10.09.2015 द्वारा कुल ₹ 1283.76 लाख के प्रस्तावों के सापेक्ष विभिन्न वन प्रभागों हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु फिलहाल ₹ 34.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जानी है। कृपया ₹ 1283.76 लाख का अनुमोदन करना चाहें) | 34.00 | ₹ 1283.76 लाख के सापेक्ष 2015–16 हेतु ₹ 34 लाख स्वीकृत |
| 16 | अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन | गौमुख से उत्तरकाशी तक गंगा बचाओ अभियान (₹ 47.05 लाख) | - | कार्यकारी समिति द्वारा भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त क्षेत्र को ईको–सेन्सिटिव जोन घोषित किया गया है, नमामि गंगे परियोजना चल रही है एवं क्लीन गंगा के तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वाद लम्बित होने के कारण फिलहाल कैम्पा से उक्त धनराशि का प्राविधान किया जाना सम्भव नहीं है। |
| 17 | मसूरी वन प्रभाग | क्यारकुली भट्टा के अंतर्गत अतिक्रमण रोकने के दृष्टिगत वन बन्दोबस्त (सीमांकन) कार्य हेतु मांग | 1.93 | स्वीकृत, यह आकलन व कार्य सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा किया जायेगा। |
| 18 | प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं | ग्रीन इण्डिया मिशन परियोजना के अंतर्गत पौधशाला निर्माण | - | कार्यकारी समिति द्वारा ग्रीन इण्डिया मिशन हेतु स्वीकृत ₹ 700 लाख में से ₹ 100 लाख अवमुक्त करने की अनुमति प्रदान की गई। |
| 19 | विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरण | बढ़ी हुई अनुसूचित दरों के कारण वृक्षारोपण एवं अग्रिम मृदा कार्य इत्यादि हेतु ₹ 200.00 लाख की धनराशि का वर्ष 2015–16 हेतु प्राविधान | 250.00 | कार्यकारी समिति द्वारा विभिन्न वन प्रभागों से उक्त का विवरण प्राप्त करने के निर्देशों के साथ धनराशि स्वीकृत की गई। |
| 20 | वन अनुसंधान संस्थान | (i) Monitoring and Evaluation of plantation, Nursery and all works including stone/concrete wall and soil & water conservation works.<br>(ii) Supply of Quality seeds of forestry species.<br>(iii) Capacity building training module for front line staff of Uttarakhand Forest Department.<br>(iv) Effect of plantations on biodiversity of Uttarakhand forest. | - | कार्यकारी समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव हेतु कुल ₹ 200 लाख की धनराशि अगले 3 वित्तीय वर्षों हेतु स्वीकृत की गई। दिनांक 19.02.2016 को विस्तृत विवरण हेतु बैठक आहूत की गई है। |
| | **कुल योग –** | | **870.06** | |

कार्यकारी समिति द्वारा इस प्रकार उत्तराखण्ड कैम्पा की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 का आकार कुल ₹ 26650.86 लाख (₹ 25052.24 + ₹ 728.56 लाख + ₹ 870.06 लाख) की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना को संचालन समिति के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

## कार्यसूची कार्यकारी समिति 16.4: कैम्पा कार्यों के अनुश्रवण हेतु जी0पी0एस0 रीडिंग –

कैम्पा निधि के अंतर्गत कराए जा रहे समस्त क्षेत्रीय कार्यों की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के दृष्टिगत जी0पी0एस0 रीडिंग ली जानी आवश्यक प्रतीत होती है, जिससे कार्य की वास्तविकता एवं गुणवत्ता का स्थल विशिष्ट ज्ञान हो सके। कार्यकारी समिति कैम्पा निधि के अंतर्गत किए जा रहे/किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में जी0पी0एस0 रीडिंग को अनिवार्य किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

*(कार्यवाही– समस्त क्रियान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग)*

## कार्यसूची कार्यकारी समिति 16.5: उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2016–17 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना के सम्बन्ध में –

उत्तराखण्ड कैम्पा को विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों से धनराशि अवमुक्त करने हेतु इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जो एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं होते हैं। भारत सरकार द्वारा भी एन0पी0वी0 मद में प्राविधानित कुल धनराशि का 70 प्रतिशत कोर गतिविधियों में, 5 प्रतिशत रिसर्च एवं ट्रेनिंग, 10 प्रतिशत आई0सी0टी0/कैपेसिटी बिल्डिंग एवं शेष 15 प्रतिशत ऐसी गतिविधि (एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार द्वारा पूर्व में प्रतिबन्धित) के अंतर्गत व्यय करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं उक्त कोर गतिविधियों के कार्य वन प्रभाग की कार्ययोजना/प्रबन्ध योजना के अंतर्गत प्राविधानित होना आवश्यक है। कार्यकारी समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि इस सम्बन्ध में एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार से भी जानकारी/सूचना प्राप्त कर ली जाए एवं तद्नुसार कैम्पा निधि के अंतर्गत भविष्य में कार्ययोजना/प्रबन्ध योजना के अंतर्गत प्राविधानित कार्य/गतिविधियों हेतु ही धनराशि अवमुक्त की जाए जिससे कैम्पा निधि का सदुपयोग गाइडलाइन्स के अनुरूप हो पाए।

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि में वर्तमान में कुल ₹ 7895.30 लाख की धनराशि उपलब्ध है। चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष ₹ 7774.56 लाख की धनराशि अवमुक्त की जानी शेष है।

इस प्रकार कैम्पा निधि में वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्ययोजना हेतु कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है, जबकि एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार के निर्देशानुसार क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग को पूर्ण करने एवं पूर्व में संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु वर्ष 2016–17 में निम्न धनराशि की न्यूनतम आवश्यकता होगी –

| घटक | कार्यमद | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| क्षतिपूरक वनीकरण | अग्रिम मृदा कार्य | 3500 है0 | 2100.00 | – |
| | वृक्षारोपण | 3760 है0 | 1053.00 | – |
| | अनुरक्षण, | 6500 है0 | 780.00 | – |
| | पौध उगान एवं अनुरक्षण | 4812500 पौध | 392.00 | – |
| कैट प्लान | कैट प्लान | ल0स0 | 2000.00 | – |
| एन0पी0वी0 (संचालन समिति की दसवीं बैठक में पारित प्रस्तावों की धनराशि) | 1– मालसी जू | ल0स0 | 800.00 | कुल 1200 लाख के सापेक्ष 400 लाख पूर्व में अवमुक्त |
| | 2– हल्द्वानी जू | –''– | 1600.00 | कुल स्वीकृत धनराशि 2000 लाख वर्ष 2015–16 में अवमुक्त 400 लाख |
| | 3– कार्बेट टाइगर सफारी | –''– | 2450.00 | कुल स्वीकृत धनराशि 2500 लाख वर्ष 2015–16 में प्राविधान 50लाख |
| | 4– ब्रीडिंग सेन्टर | –''– | 300.00 | कुल स्वीकृत धनराशि 400 लाख वर्ष 2015–16 में प्राविधान 100 लाख |
| | 5–ईको टूरिज्म (सोनी) | –''– | 300.00 | कुल स्वीकृत धनराशि 400 लाख वर्ष 2015–16 में प्राविधान 100 लाख |
| | 6–क्रिएशन आफ वाटर बॉडीज | –''– | 500.00 | कुल स्वीकृत धनराशि 1000 लाख वर्ष 2015–16 में प्राविधान 500 लाख |
| | 7–जंगली जानवरों से सुरक्षा | –''– | 800.00 | कुल स्वीकृत धनराशि 1000 लाख वर्ष 2015–16 में प्राविधान 200 लाख |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| एन0पी0वी0 | 1–मृदा एवं जल संरक्षण, चारागाह विकास, खेती सुरक्षा | –"– | 2000.00 | – |
| | ओक, देवदार वृक्षारोपण | –"– | 500.00 | |
| | कन्टीन्जैन्सी | –"– | 1000.00 | |
| अन्य गतिविधियां | वृक्षारोपण एवं रिवर ट्रेनिंग | –"– | 2000.00 | |
| वन पंचायत | वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण | –"– | 1500.00 | |
| राजाजी पार्क | विभिन्न गतिविधियां | –"– | 442.00 | |
| विभिन्न वन प्रभाग | कार्ययोजना | –"– | 120.00 | |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा | रिसर्च एवं मूल्यांकन | –"– | 500.00 | |
| विभिन्न वन प्रभाग | वन विश्राम भवन | –"– | 1249.76 | |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा | वेलफेयर फण्ड | –"– | 112.00 | |
| | **कुल योग –** | | **22498.76** | |

कार्यकारी समिति द्वारा कुल **₹ 22498.76 लाख** की वार्षिक कार्ययोजना को संचालन समिति के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

*(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा)*

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 16.6: उत्तराखण्ड कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रबन्धन हेतु बजट के सम्बन्ध में –**

कार्यकारी समिति द्वारा वर्ष 2015–16 में कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से स्वीकृत मदों के अतिरिक्त हुए व्यय की धनराशि की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के सुचारू प्रबन्धन/संचालन हेतु कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से निम्न मदों के अनुसार ₹ 550.30 लाख की धनराशि के बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया –

# उत्तराखण्ड कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से कैम्पा कार्यालय के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु वर्ष 2016–17 का बजट

| | मद का नाम | धनराशि |
|---|---|---|
| अ | **कार्यालय संचालन, प्रबन्धन एवं अन्य व्यय** | |
| | वेतन एवं अन्य व्यय | 15,000,000 |
| | वाहनों की मरम्मत एवं ईंधन | 1,200,000 |
| | उपकरण एवं मरम्मत/कार्यालय भवन मरम्मत | 360,000 |
| | वाहन किराया व्यय | 720,000 |
| | टेलीफोन, मोबाईल और इण्टरनेट व्यय | 300,000 |
| | विद्युत व्यय | 180,000 |
| | जल व्यय | 20,000 |
| | यात्रा एवं स्थानीय यात्रा व्यय | 600,000 |
| | प्रिटिंग एवं स्टेशनरी | 300,000 |
| | किताबें एवं पत्रिकायें | 1,300,000 |
| | कार्यालय एवं अन्य व्यय | 600,000 |
| | कार्यालय किराया व्यय | 600,000 |
| | डाक एवं कोरियर व्यय | 300,000 |
| | विशेषज्ञ परामर्श शुल्क (ऑडिट, आयकर, विधि परामर्श एवं अन्य) | 600,000 |
| | बैठक व्यय | 300,000 |
| | विज्ञापन | 500,000 |
| | विविध व्यय | 500,000 |
| | **योग अ** | **23,380,000** |
| ब | **स्थायी सम्पत्ति** | |
| | फर्नीचर एवं फिक्चर | 500,000 |
| | कम्प्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर/मोबाईल इत्यादि | 1,200,000 |
| | कार्यालय उपकरण | 800,000 |
| | **योग ब** | **2,500,000** |
| स | **अन्य व्यय** | |
| | फील्ड स्टॉफ के मोबाईल, इण्टरनेट व्यय | 12,000,000 |
| | मुख्य वन संरक्षक एवं उच्च स्तर के अधिकारियों हेतु मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु वाहन क्रय (08 वाहन @1000000) | 8,000,000 |
| | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा हेतु वाहन क्रय (01 वाहन @1000000) एवं प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें, कार्यालय में अनुश्रवण हेतु (01 वाहन @ 650000) | 1,650,000 |
| | उत्तराखण्ड वन विभाग के कार्मिकों हेतु खेलकूद कैम्प के आयोजन हेतु व्यय | 7,500,000 |
| | **योग स** | **29,150,000** |
| कुल योग (अ+ब+स) | | **55,030,000** |

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 16.7: उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति हेतु दो गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों के नामांकन के सम्बन्ध में**

उत्तराखण्ड कैम्पा के गठन की अधिसूचना सं0– 1922/x-2-2012-7(6)/2004 टी0सी0 दिनांक 08.11.2012 के बिन्दु सं0– 7(1) एवं बिन्दु सं0– 8(1) में क्रमशः संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा दो गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य के तौर पर नामित किये जाने का प्राविधान है। इस क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा नये सदस्यों को नामित किये जाने अथवा पूर्व में नामित गैर सरकारी संगठनों को ही नामित किये जाने के सम्बन्ध में शासन को लिखा गया, जिसके क्रम में शासन स्तर पर कार्यवाही लम्बित है। कार्यकारी समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रयास किया जाए।

*(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा)*

अध्यक्ष महोदया की अनुमति लेते हुये धन्यवाद सहित बैठक की समाप्ति की गई।

**(परमजीत सिंह)**
**प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं**
**सदस्य–सचिव,**
**उत्तराखण्ड कैम्पा**

**(वीना सेखरी)**
**प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–**
**कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा**

**उत्तराखंड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)**
**वन मित्र कॉल सेंटर– 920 800 8000**
**5 पंचशील पार्क, चकराता रोड़, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2761077 ई–मेल** ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com
**web site-** www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 712 / 13-3(16)/15-16 दिनांक, देहरादून, 20 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

5. प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

(परमजीत सिंह)
**प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
**उत्तराखंड कैम्पा एवं**
**अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड**

पत्रांकः– 712 (1)/13–3(16)/2015–16 दिनांकित।

**प्रतिलिपिः–**

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(परमजीत सिंह)
**प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
**उत्तराखंड कैम्पा एवं**
**अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड**